राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–नेतरा
पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व वाद सं. 313/2015 (पुराने नं. 39/2011)
दायरा तिथि 19.06.2015 (13.07.2011)
निर्णय तिथि 16.06.2016

वादीगणः–	बनामः	प्रतिवादीगणः–
1–पुनाराम पुत्र सवाजी 2–जोगाराम पुत्र सवाजी 3–छोगाराम पुत्र सवाजी जातिगण रेबारी निवासीगण नेतरा तहसील सुमेरपुर		1– राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर 2–सरपंच, ग्राम पंचायत नेतरा तहसील सुमेरपुर

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 RTAct,1955

–: नि र्ण य :–

दिनांक 16.06.2016

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–नेतरा में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। हमने, लोक अदालत की भावना से पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् मामले की वाद–विषयक स्थिति अनुसार सरहद मौजा नेतरा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 366 रकबा 2.40 हेक्टर किस्म गै.मु.मगरा के बारे में वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध कतिपय प्रावधानों के तहत आवंटित सुदा व पुराने कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु यह वादपत्र प्रस्तुत किया है। वादी ने अपने वादपत्र के साथ धारा 91 RLRAct,1956 के नोटिसों की छाया प्रतिया पेश की है।

(2) कि कथित वादपत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रतिवादीगण ने जवाब में जाहिर किया कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में राजकीय सिवायचक दर्ज है व उक्त भूमि पर वादीगण का अवैध कब्जा व अतिक्रमण है, यह वादग्रस्त भूमि ग्राम नेतरा की आबादी से लगती हुई नेशनल फोरलैन के पास स्थित है और इस भूमि बाबत् ग्राम नेतरा के विकास व आबादी हेतु ग्राम पंचायत नेतरा द्वारा कार्यवाही प्रस्तावित कर रखी है, राज्य सरकार केग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से जारी परिपत्र दिनांक 29.06.2011 के अनुसार गांवों का सुनियोजित विकास हेतु विलेज मास्टर प्लान तैयारी हेतु उक्त भूमि प्रस्तावित कर रखी है। इसलिए ग्राम नेतरा के विकास व आबादी हेतु अर्थात ग्राम नेतरा के जनहितार्थ को ध्यान में रखते हुए वादीगण का यह वादपत्र खारिज फरमाया जावे।

इसके अलावा हमने यह भी पाया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम नेतरा में स्थित होने से यह नेतरा ग्राम, नगरपालिका सुमेरपुर की नगरीय परिधीय सीमा व मास्टर प्लान में स्थित है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि न तो वादीगण की आवंटित सुदा भूमि है और ना ही नियमन सुदा भूमि है, बल्कि राजस्व रेकर्ड अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज है और वादीगण का एकमात्र अवैध व नाजायज कब्जा रहा है। इसलिए लोक अदालत की भावना के अनुरूप प्रश्नगत् मामले में उल्लेखित तमाम रेकर्ड व तथ्यों पर हमने, मनन व विचारण किया तत्पश्चात् हमारी विधिक राय

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज)

Scanned by CamScanner

है कि वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत् वादीगण का यह वादपत्र कतिपय प्रावधानों के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के खातेदारी घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रथमतः चलने योग्य व परिपोषणीय प्रतीत नहीं होने से इसे सव्यय खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण एवं विवेचित तथ्यों के परिणामतः वादीगण का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के सरहद मौजा नेतरा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 366 रकबा 2.40 हेक्टर किस्म गै.मु.मगरा के बारे में कतिपय प्रावधानों के तहत खातेदारी घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रथमतः चलने योग्य व परिपोषणीय प्रतीत नहीं होने से इसे सव्यय खारिज किया किया जाता है। माफिक निर्णय डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक 16.06.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र नेतरा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज)

उपखण्ड अधिकारी * सुमेरपुर, जिला-पाली (राजस्थान)

Scanned by CamScanner